सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 733 राँची, शनिवार, 26 भाद्र, 1938 (श०) / 17 सितम्बर, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 सितम्बर, 2016 ई० ।

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, जामताड़ा का पत्रांक-405/रा०, दिनांक 7 दिसम्बर, 2009

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2839, दिनांक 15 मई, 2010; पत्रांक-8099, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011; पत्रांक-1112, दिनांक 5 फरवरी, 2013; पत्रांक- 5046, दिनांक 11 जून, 2013; पत्रांक- 275, दिनांक 10 जनवरी, 2014; पत्रांक- 2916, दिनांक 24 मार्च, 2014; संकल्प सं०-9421, दिनांक 18 सितम्बर, 2014; पत्रांक-8844, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक-10214, दिनांक 3 दिसम्बर, 2015

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक- 119/2015, दिनांक 16 जून, 2015

संख्या-5/आरोप-1-443/2014 का.-7769-- श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-789/03, गृह जिला- मुजफ्फरपुर) के अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के पद की कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-405/रा०, दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1- (क) श्री गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का वितरण माह-सितम्बर से नहीं किया गया है । इनके द्वारा वृद्धावस्था पेंशन भुगतान हेतु कोषागार से राशि की निकासी भी नहीं की गयी है । (ख) वृद्धावस्था पेंशन की संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बावजूद इनके द्वारा आवेदन पत्रों को अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के बजाय अन्य हलका राजस्व कर्मचारी श्री शिवशंकर भगत से जाँच कराने का आदेश पृष्ठांकित किया है, जो इनके कार्यकलाप में टालमटोल करने तथा आवेदन पत्रों को निहित स्वार्थवश लंबित रखने की प्रवृति को दर्शाता है । (ग) कार्यालय निरीक्षण के क्रम में कुल 1579 आवेदन, जो विवेकानन्द निःशक्त प्रोत्साहन योजना के जाँचोपरांत इनके अग्रसारण हेतु लंबित पाये गये एवं स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी के पास नहीं भेजे गये, जिससे जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया एवं प्राप्त आवंटन का व्यय ससमय नहीं किया जा सका ।

आरोप सं०-2- (क) दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 को अंचल कार्यालय, जामताड़ा के नामांतरण वाद से संबंधित अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि नामांतरण पंजी अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । बाद में नामांकन पंजी राजस्व कर्मचारी श्री इसमाईल टुडू के द्वारा अपने हल्का कार्यालय से लाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि नामांतरण आवेदन पत्र अनियमित रूप से हल्का कार्यालय में पंजीबद्ध किये जाते हैं तथा अंचल कार्यालय की रक्षी संचिका में शुद्धि पत्र का संधारण नहीं किया जाता है । (ख) नामांतरण वाद सं०-04/09-10 के माध्यम से ग्राम बोदमा थाना सं०-26 की 2.55 एकड़ बकास्त भूमि का नामांतरण करते हुए 99 वर्षों हेतु Sub lease की नियम विरूद्ध कार्रवाई अंचल अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा की गयी ।

आरोप सं०-3- जाँच के क्रम में पाया गया कि ग्राम प्रधानों को देय मानदेय 6000/- रूपये का चेक तैयार होने के बावजूद अंचल अधिकारी द्वारा चेक हस्ताक्षरित कर भुगतान करने के बजाय निहित स्वार्थवश रोक कर रखा गया है एवं ग्राम प्रधानों को मानदेय भुगतान में टालमटोल की कार्रवाई की जा रही है ।

आरोप सं०-4- श्री गुप्ता के अंचल अधिकारी, नाला के प्रभार में चिचुरबिल फेरी घाट की नीलामी दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को श्री शेख अली अहमद, पिता-शेख रफीक, ग्राम-चिचुरबिल को 4800/- रूपये में करने के बाद बिना किसी उच्चाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये दूसरा अभिलेख खोलकर पुनः दिनांक 22 मई, 2009 को श्री आसीफ मौला, पिता-यासीन मौल्ला के साथ कुल 5600/- रूपये में नीलामी किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निजी स्वार्थवश एक ही सैरात की बंदोबस्ती भिन्न-भिन्न अभिलेखों के माध्यम से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को की गयी ।

आरोप सं०-5- श्री गुप्ता द्वारा माह-सितंबर के बाद से चौकीदारों का वेतन भुगतान भी नहीं किया गया है, जिसके कारण विधान सभा आम चुनाव, 2009 में चौकीदारों में रोष व्याप्त पाया गया । जाँच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि 19 चौकीदारों की सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ एवं अंचल कार्यालय

के तीन कर्मचारियों के पेंशन लाभ का मामला भी इनके द्वारा लंबित रखा गया है । पेंशन कागजात भेजने में कोई रूचि नहीं ली गयी ।

आरोप सं०-6- श्री सुशील नारनोलिया, अध्यक्ष, जामताड़ा चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध मनमाने ढंग से अत्याचार, भयादोहन एवं भ्रष्टाचार का परिवाद-पत्र दिया गया है, जिसमें गलत रूप से रूपया ऐंठने के लिये दिनांक 29 सितम्बर, 2009 को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी है । जाँच के क्रम में पाया गया कि मौजा-जामताड़ा, थाना सं०-03 के अंतर्गत कुल 0.72 एकड़ भूमि का नामांतरण परिवादी के पक्ष में नामांतरण वाद सं०-170/05-06 द्वारा किया गया है । वित्तीय वर्ष 2005-06 में अंचल अधिकारी द्वारा किये गये नामांतरण पर वर्तमान अंचल अधिकारी श्री गुप्ता को संज्ञान लेने का कोई अधिकार नहीं है । उल्लेखनीय है कि दिनांक 29 सितम्बर, 2009 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा अंचल अधिकारी के प्रभार में थे, फिर भी श्री गुप्ता के द्वारा 29 सितम्बर, 2009 की तिथि में अंचल अधिकारी, जामताड़ा के रूप में परिवादी को गलत मंशा से नोटिस भेजा गया ।

आरोप सं०-7- दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 को अंचल कार्यालय, जामताड़ा के औचक निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत-करमाटाँड़, सीताकाटा एवं तेतुलबंधा की पेंशनधारी महिलाएँ/पुरूष अंचल कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु उपस्थित थे एवं अंचल अधिकारी, जामताड़ा अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे । अंचल अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि वन विभाग को क्षतिपूर्ति वन भूमि उपलब्ध कराने के लिये ये मिहिजाम में हैं । उनके वापस आने पर उनके जीप चालक द्वारा बयान दिया गया कि अंचल अधिकारी आज दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 को मिहिजाम गये ही नहीं । वास्तव में, अंचल अधिकारी श्री गुप्ता पेंशनधारियों के भय से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे एवं भ्रामक सूचना उनके द्वारा उच्चाधिकारी को दी जा रही थी ।

उक्त आरोपों के लिए श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक-2839, दिनांक 15 मई, 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में श्री गुप्ता के पत्रांक-827 (ii) दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । विभागीय पत्रांक-8099, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा से श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा इसके लिए विभागीय पत्रांक-1112, दिनांक 5 फरवरी, 2013, पत्रांक-5046, दिनांक 11 जून, 2013, पत्रांक-275, दिनांक 10 जनवरी, 2014 एवं पत्रांक-2916, दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा स्मारित भी किया गया, परंतु मंतव्य अप्राप्त रहा । अतः समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-9421, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 119/2015, दिनांक 16 जून, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रपत्र-'क' में गठित कुल 7(सात) आरोपों में से आरोप सं०-1, 2, 4, एवं 7 को प्रमाणित तथा आरोप सं०-5 आंशिक

रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये हैं । प्रमाणित आरोपों पर श्री गुप्ता द्वारा समर्पित बचाव-बयान निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 पर बचाव-बयान- (क) उपायुक्त के स्तर से लेखा प्रभारी -सह- प्रधान लिपिक श्री राजीव रंजन मिश्र को वर्ष 2009 राष्ट्रीय खेल आयोजन राँची में प्रतिनियोजित किये जाने एवं प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण वृद्धावस्था पेंशन भुगतान राशि की निकासी एवं वितरण कार्य बाधित हुआ । (ख) आवेदन पत्रों के जाँचोपरांत 25 मामलों पर जाँच-प्रतिवेदन पूर्णरूपेण सही पाया गया, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को स्वीकृति हेतु भेजा गया । शेष मामलों में त्रुटि पाये जाने के कारण पुनः जाँच की आवश्यकता महसूस की गयी, जिसके कारण श्री शिवशंकर भगत को उन आवेदन पत्रों की जाँच कर पुनः अविलंब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया । (ग) निरीक्षण के क्रम में जिन 1579 आवेदनों के लंबित होने का उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई आवेदन मेरे संज्ञान में ही नहीं आया है। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि लगाये गये आरोप निराधार हैं ।

आरोप सं०-2 पर बचाव-बयान- (क) कार्यालय अभिलेखों के संधारण एवं संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रभारी की होती है । कथित अभिलेख बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के कार्यालय से बाहर जाने दिये जाने के लिये वे ही दोषी हैं । उनके द्वारा यह भी स्वीकार नहीं किया गया है कि ऐसा मेरी अनुमति से किया गया है । अतः इसके लिये मैं दोषी नहीं हूँ । (ख) जहाँ तक नामांतरण वाद सं०-4/09-10 के अधीन मौजा बोदमा थाना सं०-26 की 2.55 एकड़ बकास्त भूमि के नामांतरण का प्रश्न है, इस नामांतरण कार्रवाई विधिवत् प्राप्त अभिलेखपर आधारित है । पंजी-2 में उपलब्ध जमाबंदी के आधार पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच-प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी की गयी । दखल के संबंध में हल्का कर्मचारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन दिया गया था । जमाबंदी रैयत द्वारा ही प्रश्नगत भूमि को sub lease किया गया है और उसके आधार पर लगान वसूली के लिये नामांतरण किया जाना विधिसंगत था ।

आरोप सं०-3 पर बचाव-बयान- इस अभियोग से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही किसी ग्राम प्रधान द्वारा मेरे विरूद्ध इस संबंध में कोई शिकायत की गयी है ।

आरोप सं०-4 पर बचाव-बयान- कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में घाट की सुरक्षित जमा राशि 1898/-रूपये दर्शाया गया था, जिसे आधार मानकर उच्चतम डाक बोली 4800/- रूपये में श्री शेख अली महमूद को बन्दोबस्ती का निर्णय लिया गया था । नीलामी के उपरान्त श्री महमूद द्वारा सरकारी खजाने में नीलामी की राशि ससमय जमा नहीं करायी गयी और न ही राशि जमा करने में विलम्ब का कोई कारण प्रस्तुत किया गया । निर्धारित समय तक नीलामी की राशि जमा नहीं होने तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये सुरक्षित जमा की राशि 5507/- रूपये, जो कि पूर्व की सुरक्षित जमा राशि से अधिक होने के कारण दिनांक 22 मई, 2009 को श्री आशिफ मौला के नाम से 5600/- रूपये उच्चतम डाक बोली के आधार पर नीलामी किया गया है एवं उसी आदेश में पूर्व नीलामी को रद्द करने का आदेश दिया गया है ।

आरोप सं०-5 पर बचाव-बयान-_लेखा प्रभारी -सह- प्रधान सहायक श्री राजीव रंजन मिश्र का वर्ष 2009 में राँची में आयोजित खेल में उपायुक्त द्वारा प्रतिनियोजन किया गया था तथा उनके स्थान पर किसी अन्य की प्रतिनियोजन नहीं होने के कारण तथा संबंधित लेखा अभिलेखों के उनके संरक्षण में बंद रहने के कारण निकासी एवं व्ययन कार्य अल्प समय के लिये अवरूद्ध रहा, जिसके लिये मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता । बाद में, वैकल्पिक व्यवस्था कर चौकीदारों को भुगतान किया गया । इस संबंध में किसी भी चौकीदार द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी थी और न ही किसी में कोई रोष व्याप्त था । विधान सभा आम चुनाव, 2009 से भी इसका कोई संबंध नहीं था ।19 चौकीदारों की सेवानिवृत्ति, पेंशन लाभ एवं 3 कर्मचारियों के पेंशन लाभ मामले को लंबित रखने के आरोप के संबंध में कहना है कि ऐसा कोई मामला कभी भी मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया और न ही किसी संबंधित/प्रभावित व्यक्ति द्वारा इस संबंध में संसूचित किया गया । अतः मामला लंबित रखने का आरोप निराधार है ।

आरोप सं०-6 पर बचाव-बयान- श्री नारनोलिया द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा को संबोधित पत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 कंडिका-1 की पंक्ति-3 एवं 4 में उन्हीं के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उनके ग्राम-बुधुडीह में 4.40 एकड़ भूमि के नामांतरण पर किसी व्यक्ति द्वारा उन पर गलत ढंग से भूमि अर्जित कर नामांतरण कराने पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा को आपत्ति पत्र दायर किया गया था । L.R.D.C जामताड़ा के प्रभार पर रहे अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा ने अंचल अधिकारी, जामताड़ा/अधोहस्ताक्षरी को आपत्ति पर जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने से संबंधित पत्र लिखा। इसके आधार पर अंचलाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी द्वारा जमीन के दावे से संबंधित दस्तावेजों की माँग करने पर अपने पक्ष में दबाव बनाने के उद्देश्य से ही श्री नारनोलिया द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा के समक्ष अंचलाधिकारी के विरूद्ध साजिश के तहत् आवेदन दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 को समर्पित किया गया । जहाँ तक अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा L.R.D.C के स्तर से याचित प्रतिवेदन का प्रश्न है । यह पूर्णतः उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित है, जिसका विश्लेषण करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता-सह-अनुमंडल पदाधिकारी सक्षम थे । अगर श्री नारनोलिया मेरे जाँच-प्रतिवेदन से असंतुष्ट थे तो उन्हें L.R.D.C/अनु० पदा० के पास अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी परंतु उनके द्वारा जाँच-प्रतिवेदन में उल्लिखित वास्तविकता से आक्रोशित होकर ही उनके द्वारा आवेदन में 50,000/- रूपये की राशि माँगने का अनर्गल एवं बेबुनियाद आरोप लगाया गया है ।

आरोप सं०-7 पर बचाव-बयान- कथित अवधि में मैं वन विभाग को क्षतिपूर्ति वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु निरीक्षण के निमित्त क्षेत्र में था । दूरभाष पर संपर्क किये जाने पर मेरे द्वारा सूचित भी किया गया था, जिसकी संपुष्टि भी आरोप में की गयी है । दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 को मैं मिहिजाम क्षेत्र के अंतर्गत ही निरीक्षण कार्य कर रहा था । जहाँ तक जीप चालक के बयान का प्रश्न है, एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत् चालक से डरा-धमका कर गलत लिखित बयान पर हस्ताक्षर कराया गया । जहाँ तक वृद्धावस्था पेंशनधारियों के पेंशन भुगतान का प्रश्न है, पेंशन का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है न कि अंचल अधिकारी के कार्यालय में। इस प्रकार पेंशन भुगतान हेतु अंचल कार्यालय में उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं है । इस संबंध में कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः यह आरोप निराधार एवं मनगढ़ंत है ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच-प्रतिवेदन के तथ्य आरोपवार निम्नवत् हैं-

आरोप सं०-1 का जाँच प्रतिवेदन- (क) अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के रूप में आरोपी पदाधिकारी कार्यालय प्रधान थे । वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक माह में सुनिश्चित करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है । इसे सुनिश्चित करने के लिये आरोपित पदाधिकारी ने सक्रियता नहीं दिखायी, जिस कारण सितंबर, 2009 से उसका भुगतान लंबित पाया गया है । (ख) अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक के राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त रहने की स्थिति में उनके प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गयी थी । (ग) विवेकानन्द निःशक्त स्वालंबन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में इनके द्वारा उदासीनता बरती गयी थी । 1579 आवेदन पत्र जाँचोपरांत अंचल कार्यालय में उपलब्ध थे परंतु इसके संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अनभिज्ञता जतायी गयी है । इससे स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम का अनुश्रवण इनके द्वारा नहीं किया जाता था । उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन को कार्यालय के अधीनस्थ लिपिक/प्रधान लिपिक के भरोसे छोड़ दिया गया था । अतः यह आरोप प्रमाणित होता है ।

आरोप सं०-2 का जाँच प्रतिवेदन- (क) दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 को जामताड़ा अंचल कार्यालय में जाँच के क्रम में नामांतरण पंजी उपलब्ध नहीं थी । बाद में हल्का कर्मचारी श्री इस्माईल टुडू द्वारा अपने हल्का कार्यालय से लाकर नामांतरण पंजी उपलब्ध कराया गया था । पंजी को अंचल कार्यालय से बाहर भेजने के लिये संबंधित सहायक के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं की गयी । (ख) नामांतरण वाद सं०-04/09-10 के माध्यम से ग्राम बोदमा थाना सं०-26 की 2.55 एकड़ बकास्त भूमि का नामांतरण Sub lease के आधार पर करने की स्वीकृति आरोपी पदाधिकारी द्वारा दी गयी है । इनके अनुसार, पंजी-2 में श्री अजय कुमार केजरीवाल व प्रवीण कुमार के नाम से इस जमीन की जमाबंदी दर्ज थी परंतु इस जमाबंदी का आधार क्या है? इसकी जाँच-पड़ताल नहीं की गयी । प्रासंगिक भूमि बकास्त खाता की है, जिसका लगान निर्धारण विहित प्रक्रिया से सक्षम प्राधिकारी के स्तर से हुई है या नहीं-इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया । सक्षम पदाधिकारी से लगान निर्धारण कराये बगैर जमाबंदी कायम नहीं की जा सकती है । अतः अपने अधीनस्थ कार्यालय कर्मी पर नियंत्रण का अभाव तथा नियम विरूद्ध नामांतरण स्वीकार करने का आरोप प्रमाणित होता है ।

आरोप सं०-3 का जाँच प्रतिवेदन-_चूँकि इस आरोप को प्रमाणित करने के लिये विभाग की ओर से कोई साक्ष्य अथवा परिवाद-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

आरोप सं०-4 का जाँच प्रतिवेदन- आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्व की बंदोबस्ती को बगैर रद्द किये पुनः बंदोबस्ती की कार्रवाई दिनांक 22 मई, 2009 को की गयी है । इसके पूर्व डाकवक्ता को कोई सूचना भी नहीं दी गयी है। दिनांक 15 अप्रैल, 2009 एवं 22 मई, 2009 की बंदोबस्ती में डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अग्रधन/प्रतिभूति राशि जमा कराये बगैर डाक में भाग लेने दिया गया है। इस सैरात की सुरक्षित जमा राशि 5507.00 रू० निर्धारित होने का कोई प्रमाण अथवा उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लेख बंदोबस्ती अभिलेख में नहीं है । दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को की

गयी बंदोबस्ती को रद्द किये बगैर दिनांक 22 मई, 2009 को पुनः सैरात की बंदोबस्ती की गयी । इस प्रकार, इस सैरात की बंदोबस्ती करने में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित होता है ।

आरोप सं०-5 का जाँच प्रतिवेदन- जामताड़ा अंचल में चौकीदारों का वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित कराने के लिये आरोपी पदाधिकारी के स्तर पर शिथिलता बरती गयी । श्री राजीव रंजन मिश्र, प्रधान लिपिक की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था कर विपत्र की निकासी की कार्रवाई करने में उदासीनता बरती गयी है । सेवानिवृत्त चौकीदार एवं अंचल के सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ लंबित रहने के संबंध में कोई साक्ष्य/शिकायत आरोप-पत्र के साथ संलग्न नहीं है और न ही सुनवाई के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । अतः सेवानिवृत्त मामलों को लंबित रखने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

इस प्रकार यह आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है ।

आरोप सं०-6 का जाँच प्रतिवेदन- परिवादी द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा को प्रेषित परिवाद-पत्र में वर्णित 50,000.00 रू० की माँग करने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं हैं । इस परिवाद-पत्र की जाँच उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा कराये जाने तथा इसके फलाफल की भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । अतः श्री नारनोलिया से 50,000.00 रू० माँगने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है । साथ ही, दिनांक 29 सितम्बर, 2009 को अंचल अधिकारी, जामताड़ा द्वारा प्रेषित नोटिस इसी दुर्भावना से प्रेषित प्रतीत नहीं होता है बल्कि जिला जन सूचना कार्यालय को इस भूमि से संबंधी विवरणी उपलब्ध कराने के क्रम में यह नोटिस निर्गत है। यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

आरोप सं०-7 का जाँच प्रतिवेदन- दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 के पूर्व वृद्धावस्था पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किये गये थे । पेंशन का भुगतान कई माह से रहने/अनियमित रहने के कारण पेंशनधारियों की भीड़ अंचल कार्यालय में एकत्र हुई थी । अतः आरोप के इस बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 को आरोपित पदाधिकारी अपने कार्यालय से बाहर मिहिजाम में सरकारी कार्य से भ्रमण पर थे । इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई प्रमाण, यथा-अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम/यात्रा दैनंदिनी/गाड़ी का लॉग बुक/मिहिजाम में उक्त तिथि को किये गये कार्य का ब्यौरा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अपने भ्रमण के संबंध में उच्चाधिकारी को दिग्भ्रमित करने का आरोप प्रमाणित होता है ।

श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में श्री गुप्ता के विरूद्ध अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण का नहीं रखने, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान समय पर नहीं करने एवं सैरात की बन्दोबस्ती में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित पाया गया । इसके अतिरिक्त अनियमित रूप से बकास्त भूमि (2.55 एकड़), जिसका लगान निर्धारण नहीं हुआ है, उसका नामांतरण कर जमाबंदी कायम करने संबंधी गंभीर आरोप भी प्रमाणित पाया गया ।

समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु श्री गुप्ता के विरूद्ध तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए इनके विभागीय पत्रांक-8844, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा पत्रांक-10214, दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 द्वारा स्मारित किया गया । श्री गुप्ता के पत्रांक-1157, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें प्रमाणित आरोपों हेतु दिये गये उत्तर निम्नवत् हैं-

आरोप सं०-1 पर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर- (क) वृद्धावस्था पेंशन का वितरण कोषागार से राशि की निकासी कर नगद नहीं की जाती है। राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। अतः आरोप ही तथ्य के विपरीत एवं साक्ष्यहीन है। आरोप के समर्थन में कोई बैंक का स्टेटमेंट, रोकड़ पंजी की छायाप्रति नहीं समर्पित की गयी है। सितंबर माह के तथाकथित भुगतान का भाउचर, भरपाई पंजी आदि भी संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार इस आरोप के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बगैर किसी सबूत/साक्ष्य के आरोप को प्रमाणित माना जाना न्यायोचित नहीं है। (ख) आवेदन पत्रों के जाँचोपरांत 25 मामलों पर जाँच-प्रतिवेदन पूर्णरूपेण सही पाया गया, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को स्वीकृति हेतु भेजा गया। इसके अतिरिक्त कोई भी आवेदन हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच के पश्चात् स्वीकृति हेतु लंबित नहीं था। जाँचोपरांत आवेदन लंबित रखने का उल्लेख है परंतु इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। (ग) इस संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आरोप सं०-2 पर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर- (क) यह आरोप पूर्णतः मनगढ़ंत एवं निराधार है क्योंकि अगर नामान्तरण पंजी कार्यालय में नहीं था तथा राजस्व कर्मचारी द्वारा अपने हल्का कार्यालय से लाकर प्रस्तुत किया गया है तो संबंधित राजस्व कर्मचारी का कोई लिखित अथवा मौखिक बयान अथवा कार्यालय के अन्य कर्मियों का बयान साक्ष्य के तौर पर होना चाहिए था परंतु इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य आरोप-पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है । साथ ही, अगर नामांतरण पंजी में कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो नामांतरण पंजी को उसी समय सील कर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा यह specific किया जाना चाहिए था कि किन बिन्दुओं पर अनियमितता बरती गयी थी, परंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है । (ख) नामांतरण वाद सं०-04/09-10 में नियमविरूद्ध नामांतरण का आरोप है परंतु इसका कोई उल्लेख नहीं है कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है । माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के कतिपय न्यायादेशों में दिये गये फैसले के आलोक में विषयगत नामांतरण विधिसम्मत है । इन सभी न्यायादेशों में एवं Principle of mutation and sairat settlement (Law and procedure) बिहार एवं झारखण्ड के Section-20 में स्पष्ट है कि नामांतरण की स्वीकृति उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर एवं दखल-कब्जा के आधार पर किया जाना है । विषयगत नामांतरण भी रजिस्ट्री डीड के आधार पर दखल-कब्जा संबंधी राजस्व/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं पंजी-2 की अद्यतन स्थिति के आधार पर ही उपरोक्त निर्देश के आधार पर ही किया गया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत है । साथ ही, इस नामांतरण के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गयी है ।

आरोप सं०- 4 पर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर- इस आरोप का आधार तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाला के प्रतिवेदन को बनाया गया है, जबकि पूर्ववर्ती अंचल अधिकारी द्वारा संपादित किये गये किसी भी कार्य की जाँच वरीय पदाधिकारी से कराये जाने का सरकारी प्रावधान है । संचालन पदाधिकारी द्वारा मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं तर्कों को नजरअंदाज कर निष्कर्ष निकाला गया है कि इस सैरात की बन्दोबस्ती करने में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है । अतः संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूँगा-

(क) चिचुरबिल फेरीघाट के बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 3 अप्रैल, 2009 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सोलह आने रैयतों को आम नोटिस दिया गया था, जिसमें बन्दोबस्ती की तिथि 15 अप्रैल, 2009 निर्धारित की गयी थी, नोटिस में स्पष्ट उल्लेख था कि बन्दोबस्ती की शर्तें पूरा नहीं करने पर इसे रद्द करने का अधिकार अंचल अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।

(ख) दिनांक 15 अप्रैल, 2009 को विधिवत् नीलामी प्रक्रिया पूरी की गयी । उच्चतम बोली 4800/- रू० लगाई गई, जिसका वीड सीट भी तैयार किया गया, जिस पर नीलामीकर्त्ता श्री बसी अहमद, जिसने उच्चतम बोली लगायी थी, उसका भी हस्ताक्षर है । इसमें मेरा स्पष्ट आदेश अंकित है कि नीलामीकर्त्ता उच्चतम डाक की राशि 4800/- रू० नजारत में जमा कराकर नाजिर रसीद प्राप्त करें। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी का यह निष्कर्ष कि उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती की राशि जमा कराने के लिए मेरे द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया, यह अभिलेखीय साक्ष्य के विपरीत है ।

(ग) चूँकि सैरात की बन्दोबस्ती में अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा बन्दोबस्ती की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया, वैसी स्थिति में पूर्व की नीलामी रद्द करते हुए सरकारी हित में पुनः सैरात की बन्दोबस्ती की गयी । अतः पुनः सूचना निर्गत कर नीलामी की तिथि 22 मई, 2009 निर्धारित की गयी और आमजनों को सूचना का तामिला कराया गया । पुनः निर्धारित प्रक्रिया के तहत् निर्धारित तिथि को घाट की नीलामी की गयी तथा अधिकतम बोली (5600/-रू०) लगाये जाने पर पूर्व की बन्दोबस्ती रद्द की गयी । इस प्रकार, पूर्व की नीलामी को रद्द किये बगैर पुनः सैरात की बन्दोबस्ती करने का आरोप अभिलेखों एवं साक्ष्यों के विपरीत है ।

आरोप सं०- 5 पर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर- चौकीदार का वेतन लंबित रहने के संबंध में कोई शिकायतवाद अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । बिना किसी साक्ष्य के आरोप प्रमाणित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

आरोप सं०-7 पर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर- दिनांक 5 दिसम्बर, 2009 को अंचल कार्यालय, जामताड़ा के निरीक्षण के क्रम में जिन तथाकथित पंचायत-करमाटाँड़, सीताकाटा एवं तेतुलबंधा की पेंशनधारी लाभुकों के उपस्थित होने का जिक्र किया गया है, वे वास्तव में लाभुकों की भीड़ न होकर उन बिचैलियों द्वारा एकत्रित भीड़ थी, जिनकी अंचल में भागीदारी समाप्त कर दी गयी थी। अगर वृद्धावस्था पेंशन भुगतान न होने का मामला बनता तो इस संबंध में कार्यालय में संधारित अभिलेखों के आधार पर साक्ष्य दिये गये होते न कि सुनियोजित ढंग से जमा की गयी भीड़ के द्वारा मात्र hearsay (कहासुनी) पर आधारित पर आरोपित किया गया होता ।

जहाँ तक उपरोक्त अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से अनुपस्थित रहने का सवाल है, इस संबंध में कहना है कि क्षेत्रीय प्रशासनिक पदाधिकारी को सरकारी कार्यों हेतु क्षेत्र भ्रमण करना आवश्यक है। उक्त निरीक्षण के संबंध में कोई पूर्व सूचना नहीं थी । उस समय मेरे द्वारा उच्चाधिकारी के निर्देश के आलोक में ही वन विभाग को क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध कराने संबंधी कार्य का जामताड़ा-मिहिजाम मार्ग पर सर्वेक्षण किया जा रहा था । दूरभाष पर सूचना प्राप्त होते ही मैं अविलम्ब/यथाशीघ्र कार्यालय पहुँच गया था । इस प्रकार मैंने उच्चाधिकारी को अपने क्षेत्र भ्रमण की कोई भ्रामक सूचना नहीं दी थी । जहाँ तक भ्रमण से संबंधित अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा यात्रा दैनन्दिनी में इसका समावेश करने का प्रश्न है तो कई बार उच्चाधिकारी द्वारा तत्क्षण मौखिक आदेश दिये जाने पर कार्य की महत्ता देखते हुए तत्क्षण क्षेत्र में प्रस्थान करना आवश्यक हो जाता है, जिसे अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में समावेशित करना संभव नहीं हो पाता है ।

श्री गुप्ता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। अतः द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए इनके तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 733 –50 ।